न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः–152/2012 दायर दिनांक 19.10.2012

जीसीएमएस आई0डी0ः–2012/00395

1. बीरबल पुत्र किशोरी आयु 60 साल जाति मीना निवासी टोडुपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/1 मानसिंह आयु 53 साल
1/2 विजयसिंह आयु 50 साल
1/3 हरी आयु 38 साल
1/4 सुरेश आयु 35 साल
} पि0 बीरबल जाति मीना निवासी टोडूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

1/5 श्रीमति दुलारी पुत्री स्व0 बीरबल पत्नि सुगन जाति मीना निवासी टोडूपुरा

2. कमल सिंह आयु 45 साल } पिसरान
3. रूपचंद आयु 40 साल } सुआलाल
4. मु0 सोमा उम्र 38 साल पत्नि रूपसिंह
} जाति मीना निवासी टोडूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

––सायलान–04

बनाम

1. रामबक्सी आयु 50 साल पुत्र राधे जाति मीना निवासी टोडूपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0। (मृतक)

2. सिरमोहर आयु 45 साल
3. भूरसिंह आयु 32 साल
4. मोहरसिंह आयु 29 साल
5. मु0 उम्मेदी पत्नि सिरमोर उम्र 38 साल
6. मु0 हरभेजी पत्नि भूरसिंह आयु 30 साल
} पिसरान हुक्मी जाति मीना निवासी टोडूपुरा तहसील हिण्डौन

––गैरसायलान–06

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री देवीसिंह वकील सायलान
2. गैरसायलान उपस्थित

निर्णय दिनांकः–

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 695 रकबा 1.44 है0 भूमि ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र सायल स0 1 की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। जो सायल स0 1 को उसके पिता किशोरी से विरासत में प्राप्त हुयी है, सायल स0 1 ने उक्त भूमि में से 0.63 हैक्टेयर भूमि सायल नम्बर 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

ता 4 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2011 को मुवलिग 3,80,000/— रूपया में विक्रय करदी है, जिसका विक्रय पत्र सायल स0 2 ता 4 के हक में उसी दिन उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबृद्ध किया गया है, और सायल स0 2 ता 4 ने विक्रित भू भाग पर कब्जा मौके पर संभाल लिया है, और पटवारी हल्का ने सायल न0 2 ता 4 के हक में नामांतकरण भरकर तहसीलदार तहसील हिण्डौन से नामांतकरण संख्या 303 दिनांक 14.09.2012 को तस्दीक कर दिया है, जिसका नोट वर्तमान जमाबंदी संवत 2068 में अमल हो चुका है, और सायल स0 1 0.81 है0 भूमि व सायल न0 2 ता 4 0.63 है0 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हो गये है, जिनकी संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी आदि में दर्ज हो चुकी है, जिसको सायल स0 1 अपने 81/144 हिस्सा व गैरसायल स0 2 ता 4 अपने 63/144 हिस्सा को बाहमी बंटवारा करके अलग अलग डौल मेंढ बनाकर काबिज होकर वैसाख की फसल के लिये जोत लगादी है, जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार सायल की प्राईमाफेसी केस बखुबी साबित है।

भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र सायल स0 1 के पिता किशोरी की स्वअर्जित भूमि थी, जिसकी सायल स0 1 ने अकेले ने ही अपने पिताजी के जीवनकाल में निरंतर काश्त किया है, जिसको सायल स0 1 को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें से 0.63 है0 भूमि सायल 2 ता 4 को विक्रय कर देने से गैरसायलान के दिल में बदयांति आ गयी है, जो सायल स0 1 ता 2 ता 4 को शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देते है, और विवादित भूमि के संबंध में कतई गलत व झूठे मुकदमा बिना किसी आधार के गैरसायलान न0 2 ता 4 के पिता हुक्मी गैरसायल न0 1 ने सायलान के विरूद्ध कर दिये थे, गैरसायलान न0 2 ता 4 के पिता हुक्मी फौत हो चुके है, जिनमें से गैरसायल स0 1 व 2 ता 4 के पिता हुक्मी कोई कामयाबी नहीं मिलने पर सायलान के कब्जे काश्त की भूमि का जबरन लट्ठ के बल पर हडपना चाहते है, और सायलान को उनके कब्जे काश्त की आराजीयात से गैरसायलान बेदखल करने की धमकी देते है, जिससे गैरसायलान के हकूकों को भारी हानी होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से यानि द्रव्य से भी संभव नहीं से भी संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये गैरसायलान को उनकी बेजा हरकत से रोकने के लिये जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है।

भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में से प्रार्थना पत्र के मद न0 3 में दर्ज अपने हिस्से हिस्से के खेतों मे से दिनांक 29.09.2012 को सुबह 8 बजे

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

घांस व अन्य खरपतवार को काट रहे थे तो गैरसायलान हाथों में लाठी, धरिया, कुल्हाडी आदिनांक हथियार लेकर सायलान को मा बहिन की गालिया देते आ गये सायलान से विवादित खेतों से निकल जाने को कहने लगे, तो सायलान ने हाथ जोडकर कहा कि भाईयों खेत हमारे कब्जे काश्त खातेदारी के खेत है, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो गैरसायलान अधिक नाराज हो गये और सायलान को विवादित खेतों से हथियारों का भय दिखाकर निकल जाने को कहने लगे, तो रास्ते चलते राहगीरों ने गैरसायलान को समझाईस किया तो गैरसायलान बडी मुश्किल से माने और सायालान को ऐलानिया कहा कि इन खेतों को तुमसे जबरन लट्ठ के बल पर छीनकर रहेगें, और तुमकों इन खेतों से बेदखल कर देंगे, गैरसायलान न0 1 ता 6 बडबडाते हुये गांव की तरफ चले गये। गैरसायलान की इस बेजा हरकत के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान आराजी खसरा न0 695 रकबा 1.44 है0 भूमि वाके ग्राम मनेमा को सायल स0 1 को उसके हिस्से 81/144 भूमि को तथा सायलान नम्बर 2 ता 4 को उनके हिस्सा 63/144 भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोके। किसी प्रकार का व्यवधान ना तो गैरसायलान स्वयं करे नाही किसी अन्य से कोई व्यवधान करावे। इसके लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान को जबाब देने हेतु अनेक अवसर दिये गये जबाब पेश नहीं होने पर जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2068–71 खाता संख्या 102, नक्शा ट्रैस वाके ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान आराजी खसरा न0 695 रकबा 1.44 है0 भूमि वाके ग्राम मनेमा को सायल स0 1 को उसके हिस्से 81/144 भूमि को तथा सायलान नम्बर 2 ता 4 को उनके हिस्सा 63/144 भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोके। किसी प्रकार का व्यवधान ना तो गैरसायलान स्वयं करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested

नाही किसी अन्य से कोई व्यवधान करावे। इसके लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2068–71 खाता संख्या 102, नक्शा ट्रैस वाके ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 19.10.2012 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा 695 वाके ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन में मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 9/7/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन 9/7/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:10:26 IST
Reason: SelfAttested